

जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम।

आदेश

ग्रामीण विकास विभाग झारखण्ड, राँची के संकल्प ज्ञापांक- 4729 दिनांक- 04.06.2007, ज्ञापांक 6440 दिनांक 17.07.2012 एवं इस कार्यालय के पत्रांक-894/जि0ग्रा0 दिनांक- 03.05.2016 के द्वारा प्रकाशित विज्ञापन तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के अधिसूचना सं0-5938 दिनांक 14.07.2016 के आलोक में महात्मा गाँधी रोजगार गारंटी अधिनियम के अनुरूप संविदा आधारित ग्राम रोजगार सेवक के पद पर निम्न अभ्यर्थी को संविदा पर औपबंधिक रूप से नियुक्त किया जाता है-

पद - ग्राम रोजगार सेवक

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम/ पिता का नाम	पता	आरक्षण कोटि जिसके विरुद्ध चयनित हुए हैं	पदस्थापित प्रखण्ड
1	2	3	4	5
1	Ram Chandra Soren/ Somay Soren	Vill.+PO-Chandrapur PS- Badsol	General	Patamda
2	Raj Kumar Sen/ Late Purna Chandra Sen	Vill & P.O- Pokhuria, P.S- Boram, Dist- E. Singhbhum 832112	General	Boram
3	Dinesh Kumar Mahato/ Sristidhar Mahato	Vill- Aguidangra, P.O- Kamalpur, P.S- Patmda, Dist- E.Singhbhum	General	Patamda
4	Yugal Singh/ Lachhuman Singh	Vill-Tungburu,PO-Jorsa,P.S- Patmda,Dist-E.Singhbhum	General	Patamda
5	Sukdev Murmu/ Budaram Murmu	Vill.Adiwasi Kalyaan Chatrawaas Karandih Purana Kamra no.04 PO-Karandih PS- Parsudih	General	Jamshedpur
6	Satya Narayan Jana/ Mangobinda Jana	Vill.Unainala Post-Bahragoda	General	Patamda
7	Dharmendra Munda/ Manmata Munda	Vill- Khariabandha, P.S- Gurabanda, Dist- E.Singhbhum 832302	S.T	Dhalbhumgarh


BB
13.1.17

8	Binod Hansda/ Braja Mohan Hansda	Vill.Nakdoha PO-Gandanata PS-Badsol E.Singhbhum 832301	S.T	Potka
9	Ganesh Singh/ Purna Chandra Singh	Vill- Omjhor, P.O- Pahadpur, P.S- Boram , Dist- E.Singhbhum 832112	S.T	Boram
10	Bijay Kumar Munda/ Sanatan Munda	Vill- Gobraduma, P.O & P.S- Gurabanda , Dist - E.Singhbhum 832302	S.T	Dumaria
11	Raghu Nath Mandi/ Late. Sagar Mandi	Vill- Bhutia , P.O- Chandrapur, P.S- Barsol, Dist- E.Singhbhum 832101	S.T	Musabani
12	Lakhindra Hembrom/ Dhanu Hembrom	Vill.Bhagabandhi Dumaria	S.T	Dumaria
13	Prakesh Kumar Shit/ Chuni Lal Shit	Vill.Talpathar Pada P.O.Kaimmi Ghdabandha	S.C	Potka
14	Nandita Giri/ Kanai Lal Giri	Vill- Babu Line, P.O- Moubhandar, P.S- Ghatshila, 832303	BC2	Ghatshila
15	Debashis Paul/ Sukumar Paul	Vill & P.O- Jaipura, P.S- Barshole, Dist- E.Singhbhum 832101	BC1	Potka
16	Gopal Chandra Mahato/ Sudhir Chandra Mahato	Vill- Dhadhkidih, P.O- Birra,P.S- Patamda, Dist- E.Singhbhum 832105	BC1	Patamda

सभी नियुक्त अभ्यर्थी आदेश निर्गत तिथि से 15 दिनों के अंदर पदस्थापित प्रखण्ड में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं करने पर उनकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जाएगी।

उपर्युक्त कर्मी पर निम्नलिखित शर्तें बाध्यकारी होंगी :

1. ये नियुक्ति पूर्णतः संविदा आधारित है। संविदा पर नियुक्त सभी कर्मियों को नियमित रूप से नियुक्त करने का सरकार का कोई दायित्व नहीं होगा।
2. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मियों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित संविदा राशि अनुमान्य होगा।
3. प्रारंभिक चरण में ये नियुक्ति एक वर्ष के लिए की जा रही है, जो नियुक्त अभ्यर्थियों के योगदान की तिथि से प्रभावी होगी। इस कालावधि के पूर्ण होने के पूर्व पद विशेष पर नियुक्ति के लिये गठित नियुक्ति समिति के द्वारा उनके कार्यों की समीक्षा की जाएगी। कार्य संतोषप्रद पाये जाने पर अगले वित्तीय वर्ष के लिये


13.1.17

संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा। तत्पश्चात् राज्य सरकार के द्वारा समय-समय पर लिये गये निर्णय के अनुरूप यदि उनके सेवाओं की आवश्यकता बनी रहेगी तो नियुक्ति समिति द्वारा कार्य की समीक्षा के पश्चात् उपयुक्त पाये जाने पर वार्षिक रूप से ऐसी नियुक्ति का नवीकरण किया जा सकेगा।

4. संविदा के आधार पर नियुक्ति का नवीकरण नहीं होने पर ऐसी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।
5. कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर अथवा अनुशासनहीनता प्रमाणित होने की स्थिति में अद्योहस्ताक्षरी को संविदा अवधि में भी कार्यमुक्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।
6. यदि कोई कार्यरत कर्मी ऐसी नियुक्ति से स्वतः मुक्त होना चाहेगा तो उसे अपने नियंत्रण पदाधिकारी के माध्यम से नियुक्त पदाधिकारी को इसकी लिखित सूचना एक माह पूर्व देनी होगी या एक माह की परिलब्धि जमा करनी होगी। इसके विपरित यदि नियुक्त पदाधिकारी को ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा की आवश्यकता नहीं होगी तो उसे एक माह की लिखित सूचना या एक माह की परिलब्धि देकर कार्यरत कर्मी की सेवा समाप्त कर सकेंगे।

परंतु कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर अथवा अनुशासनहीनता प्रमाणित होने पर ऐसे कार्यरत कर्मी की सेवा नियुक्त पदाधिकारी के द्वारा कभी भी समाप्त की जा सकेगी।

7. नियुक्त कर्मी के कार्यों की वार्षिक समीक्षा नियुक्त पदाधिकारी द्वारा की जायेगी एवं आवश्यकता पाये जाने पर पदस्थापना स्थल में परिवर्तन किया जा सकेगा।
8. संविदा के आधार पर रखे गये कर्मी की सेवा कभी भी बिना कारण बताये हुए समाप्त की जा सकती है।
9. नियुक्त कर्मी को केन्द्र अथवा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर पारित आदेशों, निर्देशों आदि का पालन बाध्यकारी होगा।
10. नियुक्त कर्मियों के लिए अनिवार्य प्रशिक्षण आयोजित किया जाएगा। जिसकी अवधि एवं स्थल का निर्धारण राज्य सरकार या नियुक्त/ नियंत्रि पदाधिकारी द्वारा पृथक आदेश द्वारा किया जायेगा। सभी चयनित कर्मियों के लिए ऐसा प्रशिक्षण प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

80/-
उप विकास आयुक्त
-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
पूर्वी सिंहभूम।

ज्ञापांक- 130 / जि.ग्रा. दिनांक- 13.01.17

प्रतिलिपि :- चयनित अभ्यर्थी श्री/श्रीमती/सुश्रीको सूचनार्थ एवं आदेश निर्गत तिथि से 15 दिनों के अंदर अपने पदस्थापित प्रखण्ड में अपना योगदान देना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि तक योगदान नहीं करने पर आपकी नियुक्ति स्वतः समाप्त समझी जायेगी।

उप विकास आयुक्त,
-सह-जिला कार्यक्रम समन्वयक,
पूर्वी सिंहभूम।
17
जि.ग्रा. दिनांक: 16.01.17
सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं निर्देश दिया जाता है कि आबंटित प्रखण्ड में चयनित अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की मूली मांति अज्ञोपज्ञात उनका योगदान स्वीकृत करेंगे। योगदान स्वीकृत संबंधी प्रतिवेदन इस कार्यालय को लिखित रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को सूचना प्रेषित।
अनुरोध है कि इस आदेश को जिला के वेबसाइट www.jamshedpur.in पर अविलम्ब अपलोड करें।

निर्देशक
राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम,
-सह-मन्त्रालय, जेठल पदाधिकारी
जिला कार्यक्रम समन्वयक, पूर्वी सिंहभूम।